

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प. 2(1)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक 22/08/2017

:: अधिसूचना ::


द राइट्स आफ परसन्स विद डिसएबीलिटी एक्ट, 2016 की धारा 84 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण हेतु सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर एवं जोधपुर महानगर के अलावा, राज्य के समस्त सेशन न्यायालयों को उनकी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला विशिष्ट न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणांलय, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव